

नगर पालिका, मावली

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/Mawli/FIRENOC/2026-27/68870
जारी दिनांक: 04-JUN-2026 वैधता दिनांक: 03-JUN-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: DR. ASHISH VAYA
आवेदक का पता: KEER KI CHOWKI BADGAON UDAIPUR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MAHAVEER JAIN VIDHYALAYA SANSTHAN MAHAVEER COLLEGE, 1, KEER KI CHOWKI, BADGOAN, , UDAIPUR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा 1 वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त माने जावेगी।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- उक्त अग्निशमन प्रमाण पत्र नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 255, धारा 103(1)(अपप), 291 एवं धारा 337 के तहत जारी किया जाता है। अग्निशमन सुरक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर उक्त अनापत्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
- अग्निशमन उपकरण/मशीनरी आदि का समय पर रीफिल करवाना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- पानी के टैंक हर समय भारी रखने होंगे। पंप एवं पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एमसी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव एवं संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए प्रयाप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लैंडर एवं दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- भूमि एवं भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा। आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- भवन के समस्त स्टाफ एवं सिविलोरेट्री गार्डों को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- कैन्ड्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अग्निशमन संबंधित कोई नियम/उप नियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा एवं फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अनापत्ति पत्र निरस्त माना जाएगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, मावली